न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद,जिला कोटा (राज0)बइजलास

संजीव कुमार शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सांगोद

दायरा तिथि :22.10.2014

मि0न0: 135 / 2014

बउनवान

1– चन्द्रप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़

2– औंकारी उम्र 65 वर्ष पत्नी स्व. मोहनलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1 – बसन्तीलाल पुत्र नन्दलाल

2– हजारीलाल पुत्र नन्दलाल

3– बाबूलाल पुत्र नन्दलाल

4– प्रहलाद पुत्र नन्दलाल

5– मथुरालाल पुत्र नन्दलाल

6– नेमीचन्द पुत्र डूंगरचन्द

7– छोटूलाल पुत्र डूंगरचन्द

8– गुलाब बाई पत्नी स्व. डूंगरचन्द जाति किराड़ निवासीगण जोगड़ी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

दिनांक: 15/7/2019

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के साथ साथ खसरा क्रमांक 409 की 2.36 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि वर्षों से

वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग में चली आ रही है, जिसमें वर्तमान में सोयाबीन की फसल है, जो कि कटाई के लिए तैयार है, वादीगण की उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ मेड मौके पर मौजूद है, जो कि लगभग डेढ़ से 2 फुट की चौड़ाई में मौजूद है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि के सटवा दक्षिणी तरफ खसरा न. 410 की कृषि भूमि तथा जिसके दक्षिण में ग्राम जोगडी की सीमा आ रही है, वादीगण के खाते की कृषि भूमि को वादीगण शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है।

वादीगण उनके खाते में दर्ज उक्त वर्णित खसरा न. 409 की 2.36 हेक्टर कृषि भूमि को मौके पर पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, दिनांक 17.10.2014 को प्रतिवादीक्रम 3 ने मौके पर आकर वादीगण से कहा , कि तुमने हमारी कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है, मैं इसी वक्त हमारी जमीन वापस लूंगा, इस पर वादीगण ने प्रतिवादीक्रम 3 से कहा, कि हमारा तुम्हारी जमीन पर कब्जा नहीं है, हमारी जमीन के चारों तरफ मेडबन्दी हो रही है, हमने तुम्हें कभी भी इस जगह पर काश्त करते नहीं देखा है, तुम झूठ बोल रहे हो, वादीगण के इतना करने पर भी प्रतिवादीक्रम 3 नहीं माना, और उसने धमकी दी, कि मैं व मेरे अन्य भाई तुम्हारी सोयाबीन की फसल को काटकर कब्जा करके रहेगे।प्रतिवादी कम3 द्वारा ी गई धमकी से वादीगण के मन मे यह भय उत्पन्न हो गया है, कि प्रतिवादीक्रम 1ता8 वादीगण के खाते की कृषि भूमि में जबरन कब्जा करके वादीगण को उनके खाते की कृषि भूमि के उपयोग से वंचित कर सकते है, तथा वादीगण के द्वारा उनके खाते की कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुँचा सकते है, इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करे, यही इस वाद की विषयवस्तु है। वाद कारण दिनांक 17.10.2014 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीक्रम 3 ने वादीगण की कृषि भूमि में बोई हुई फसल को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी। उक्त कृषि भूमि ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण क्रम 1ता8 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वे वादीगण के खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न. 409 की 2.36 हेक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाने का प्रयास नहीं करे। और न ही वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1,2,3,4,5,7, की आरे से श्री के.एल.चौधरी द्वारा वकालतनामा एवं प्रतिवादी 6 व 8 की ओर से यू0टी0 पेश की गई। आदेशिका दिनांक 23.11.2015 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते एक तरफा साक्ष्यवादी

हेतु नियत की गई। आदेशिका दिनांक 12.4.2016 को वादी की ओर से साक्ष्यवादी बयान शपथ पत्र पीडबल्यू–1 चन्द्रप्रकाश एवं पीडबल्यू–2 बद्रीलाल पेश कर अन्य कोई साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद कर एक तरफा बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

पत्रावली में वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण क्रम 1ता8 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वे वादीगण के खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न. 409 की 2.36 हेक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाने का प्रयास नहीं करे। और न ही वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड माल ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल सम्वत् 2067–2070 में खसरा न. 409 रकबा 2.36 है0 तलाई ख.न. 542 रकबा 0.27 है0 ख.न. 634 रकबा 2.23 है0 634/725 की 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग बतौर खातेदार औकारी बेवा मोहनलाल,चन्द्रप्रकाश पुत्र रामकुवार हि.ब. जाति धाकड निवासी गांव नामा. नं. 203 दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादीगण रेकोर्डेड खातेदार है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण क्रम 1ता8 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वे वादीगण के खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न. 409 की 2.36 हेक्टर की कृषि भूमि में वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाने का प्रयास नहीं करे। और न ही वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें।

निर्णय आज दिनांक ....15-7-2019.... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद